भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1226

सोमवार, 28 जुलाई, 2025/6 श्रावण, 1947 (शक)

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) अस्पताल

1226. डॉ. हेमंत विष्णु सवरा:
श्री सुखजिंदर सिंह रंधावा:
श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:
श्री शंकर लालवानी:
श्री भर्तृहरि महताब:
कैप्टन बृजेश चौटा:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री यदुवीर वाडियार:
श्री दामोदर अग्रवाल:
श्री दिनेशभाई मकवाणा:
श्री राव राजेन्द्र सिंह:
श्री गोडम नागेश:
श्री माधवनेनी रघुनंदन राव:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2014 से अब तक सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आधुनिकीकरण या उन्नयन किए गए कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) अस्पतालों की वर्तमान संख्या का ओडिशा और पंजाब सहित राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अस्पतालों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण और समय पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा ओडिशा सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार किए गए उपाय/ किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार देश के अन्य श्रम-प्रधान क्षेत्रों में भी ऐसे आधुनिक अस्पतालों और एकीकृत चिकित्सा सुविधाओं को लागू करने की योजना बना रही है, यदि हां, तो कर्नाटक के मंगलूरू सहित राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि सरकार ने वर्ष 2018 में महाराष्ट्र के पालघर जिले में ईएसआईसी अस्पताल स्थापित करने की घोषणा की है और इसका निर्माण अभी तक शुरू नहीं हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा परियोजना के पूर्ण होने की समय-सीमा क्या है;

(ङ) देश में नए ईएसआईसी अस्पतालों की स्थापना के लिए भेजे गए प्रस्तावों की संख्या का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विशेषकर आंध्र प्रदेश में जिला-वार तथा जयपुर ग्रामीण लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र का ब्यौरा क्या है;

(च) दक्षिण कन्नड़ जिले में कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) योजना के अंतर्गत वर्तमान में लाभ प्राप्त कर रहे श्रमिकों का ब्यौरा और श्रेणियां क्या हैं तथा मंगलुरू उप-क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत बीमित व्यक्तियों और पंजीकृत नियोक्ताओं की कुल संख्या कितनी है; और

(छ) क्या संविदा, आउटसोर्स या दैनिक वेतनभोगी मजदूर ईएसआई कवरेज के लिए पात्र हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उनके नामांकन और लाभ की निगरानी के लिए क्या मानदंड और तंत्र हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (छ): कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित जिलों में 10 या अधिक कर्मचारियों वाले कारखानों/प्रतिष्ठानों में कार्यरत संविदा, आउटसोर्स या दैनिक वेतनभोगी कर्मियों सहित सभी

कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 में यथापरिभाषित इन कारखानों/प्रतिष्ठानों के कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य, जो ₹21000/- प्रति माह (निःशक्त व्यक्तियों के लिए 25,000/- रूपये) तक वेतन प्राप्त करते हैं, ईएसआई अधिनियम के अंतर्गत आते हैं और कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत उपलब्ध लाभों के पात्र होते हैं।

इसके अतिरिक्त, ईएसआईसी अपने अस्पतालों में आधुनिक तकनीकों को शामिल करके इन-हाउस स्पेशियलिटी और सुपर-स्पेशलिटी सेवाओं को विकसित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। उठाए गए कुछ कदम इस प्रकार हैं: बिस्तरों की संख्या बढ़ाना, उन्नत चिकित्सा उपकरणों की खरीद, ईएसआईसी के दिशानिर्देशों के अनुसार गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) / उच्च निर्भरता इकाई (एचडीयू) सुविधाओं की स्थापना, नए अस्पतालों की स्थापना, ज़रूरतों और मांगों के अनुसार अस्पताल के बुनियादी ढांचे के उन्नयन और विस्तार के लिए अप्रयुक्त भूमि का उपयोग, पंजीकरण को सुव्यवस्थित करने, प्रतीक्षा समय को कम करने और रोगी सुविधा को बढ़ाने के लिए ओपीडी अपॉइंटमेंट के लिए उपयोगकर्ता के अनुकूल ऐप का उन्नयन करना आदि। ओडिशा और पंजाब सहित वर्ष 2014 से ईएसआई मानदंडों के आधार पर बिस्तरों की संख्या उन्नत किए गए ईएसआईसी अस्पतालों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

महाराष्ट्र राज्य सरकार ने पालघर में लगभग 4.32 करोड़ की लागत से ईएसआईसी अस्पताल स्थापित करने के लिए भूमि की पेशकश की है, लेकिन भूमि एक सामान आकार की नहीं थी और अस्पताल तथा स्टाफ क्वार्टर के निर्माण के लिए अपर्याप्त थी।

उप-क्षेत्रीय कार्यालय, मंगलुरु के अंतर्गत, दिनांक 31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार 199500 बीमित व्यक्ति और 9824 नियोक्ता थे। दक्षिण कन्नड़ जिले में 120256 पंजीकृत कर्मचारी और 131282 बीमित व्यक्ति थे।

दिनांक 01.07.2024 से 30.06.2025 के दौरान आंध्र प्रदेश तथा जयपुर ग्रामीण लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित देश भर में ईएसआई अस्पतालों की स्थापना के लिए प्राप्त प्रस्तावों का राज्य/जिलावार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

** ****

अनुबंध-I

'कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) अस्पताल' के संबंध में डॉ. हेमंत विष्णु सवरा एवं 12 अन्य सांसदों द्वारा दिनांक 28.07.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1226 के भाग (क) से (छ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

वर्ष 2014 से बिस्तरों की संख्या उन्नत किए गए ईएसआईसी अस्पतालों का राज्य-संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	**ईएसआईसी अस्पताल का नाम**	बिस्तरों की संख्या	
			पूर्व में	वर्तमान में
1.	पंजाब	ईएसआईसी अस्पताल, लुधियाना	262	300
2.	कर्नाटक	ईएसआईसी अस्पताल, पीन्या	100	150
3.		ईएसआईसी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज, गुलबर्गा	380	630
4.		ईएसआईसी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज, राजाजीनगर	500	750
5.	ओडिशा	ईएसआईसी अस्पताल, राउरकेला	50	150
6.		ईएसआईसी अस्पताल, भुवनेश्वर	50	100
7.	उत्तर प्रदेश	ईएसआईसी अस्पताल, नोएडा	300	350
8.		ईएसआईसी अस्पताल, बरेली	50	100
9.		ईएसआईसी अस्पताल, वाराणसी	150	220
10.	झारखंड	ईएसआईसी अस्पताल, आदित्यपुर	50	75
11.		ईएसआईसी अस्पताल, रांची	75	220
12.	तमिलनाडु	ईएसआईसी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज केके नगर	454	1000
13.		ईएसआईसी अस्पताल, तिरुनेलवेली	50	100
14.	असम	ईएसआईसी अस्पताल, बेलटोला	50	220
15.	बिहार	ईएसआईसी अस्पताल, फुलवारीशरीफ	50	100
16.		ईएसआईसी अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज, बिहटा	330	420
17.	दिल्ली	ईएसआईसी अस्पताल, ओखला	250	500*
18.	हरियाणा	ईएसआईसी अस्पताल, फ़रीदाबाद	380	1150
19.	तेलंगाना	ईएसआईसी एसएस अस्पताल, सनथ नगर	100	150
20.		ईएसआईसी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज सनथ नगर	375	1000
21.	जम्मू	ईएसआईसी अस्पताल, बारीब्रह्मा	50	100
22.	केरल	ईएसआईसी अस्पताल, उद्योगमंडल	100	150
23.	महाराष्ट्र	ईएसआईसी अस्पताल, बिबवेवाड़ी	100	120
24.	राजस्थान	ईएसआईसी अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज, अलवर	330	420
25.	मध्य प्रदेश	ईएसआईसी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज, इंदौर	300	420

* 350 बिस्तरों की सुविधा उपलब्ध कराई गई

अनुबंध -II

'कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) अस्पताल' के संबंध में डॉ. हेमंत विष्णु सवरा एवं 12 अन्य सांसदों द्वारा दिनांक 28.07.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1226 के भाग (क) से (छ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

ईएसआई अस्पतालों की स्थापना के लिए दिनांक 01.07.2024 से 30.06.2025 के दौरान निर्धारित प्रोफार्मा में प्राप्त प्रस्तावों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्योरा

क्र. सं.	राज्य	जिला	स्थान
1.	आंध्र प्रदेश	प्रकाशम	ओंगोल
2.	आंध्र प्रदेश	पश्चिम गोदावरी	भीमावरम
3.	आंध्र प्रदेश	वाईएसआर	कडपा
4.	आंध्र प्रदेश	अनंतपुर	अनंतपुरम
5.	आंध्र प्रदेश	चित्तूर	चित्तूर
6.	आंध्र प्रदेश	एलुरु	एलुरु
7.	आंध्र प्रदेश	श्री सत्य साईं	हिन्दुपुर
8.	आंध्र प्रदेश	पूर्वी खासी हिल्स	शिलांग
9.	मेघालय	करीमनगर	करीमनगर
10.	तेलंगाना	नमक्कल	नमक्कल
11.	तमिलनाडु	करूर	करूर
12.	तमिलनाडु	तिरुवल्लुर	तिरुवल्लुर
13.	तमिलनाडु	अम्बुर	अम्बुर

****